[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 33/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 15 सितंबर, 2017

सा.का.नि. .... (अ)–केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 सितंबर, 2017 को उस तारीख के रूप से नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :--

(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा पचास प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,--

(i) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित ; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी ;

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

परंतु उक्त व्यक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए गए या जमा किए गए संदाय से कर की कटौती करने का दायी होगा ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार